[मूल अंग्रेजी पत्र का अनुवाद]

दि. 02-02-2021

प्रति,

संदर्भ : 202102E-01

जैन मीडिया टीम,

<u>विषय : शिखरजी तीर्थ</u>

हाल ही आपके द्वारा जारी एक वीडियो हमारी जानकारी में आया जिसमें ट्विटर अभियान के माध्यम से शिखरजी तीर्थ को पवित्र शहर (Holy City) घोषित करने की मांग सरकार से की गई है ।

दो वर्ष पूर्व शिखरजी को "जैनों का उपासना स्थल" **(Place of Worship of Jains)** घोषित करती अधिसूचना सरकार द्वारा जारी करने की मांग के साथ 'ज्योत' संगठन ने इसी तीर्थ के सिलसिले में 'शिखरजी बचाओ' (Save शिखरजी) अभियान शुरू किया था । यह मांग अंतिम क्षणों में आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट, जिन्होंने संबंधित Government Authorities के साथ कमज़ोर रूप से समझौता किया, के अनचाहे हस्तक्षेप के कारण पूरी नहीं हुई । इसके कारण हमें अभियान को बीच में ही रोकना पडा और बदले में सिर्फ एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memo) हासिल हुआ जो किसी प्रकार के ठोस कानूनी बंधन के बगैर का सरकार द्वारा जारी मात्र एक आंतरिक परिपत्र (Internal Memo) है ।

Holy City अभियान पर आते हुए, हमें लगता है कि सरकार से की गई मांग अप्रासंगिक, भटकाने वाली, भ्रामक, अस्पष्ट और दिशाहीन है । उल्टा, भूतकाल की कई ऐसी घटनाएँ है जब शिखरजी की पवित्रता की रक्षा के लिए अनेक जैन संगठनों ने ज़िलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक के Government Authorities के समक्ष अपने मुद्दों को बखूबी प्रस्तुत किया था, जिन्होंने जवाब में इस धार्मिक स्थल के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की थी । उस दौरान Government Authorities ने यह भरोसा दिया था कि इन क्षेत्रों में माँस और मदिरा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा और सड़क किनारे यदि कोई माँस और मदिरा बेचता पाया गया तो उसे जेल में डाला जाएगा । फिलहाल सरकार के उन वादों को पूरा कराने की ज़रूरत है ताकि निषेधात्मक आदेश जल्द से लागू हो । पूर्व में किए गए प्रयासों और वर्तमान की ज़मीनी हकीकत को जाने बगैर एक नए अभियान को शुरु करने का प्रयास मुख्य मुद्दे से दूर भागने के समान प्रतीत होगा ।

अत: अस्पष्ट रुप से मुद्दे उठाने वाला यह अभियान अचानक ही आ खडा हुआ लगता है जो Government Authorities को नाराज़ कर सकता है और आगे चलकर जैन समुदाय की छवि को धूमिल कर सकता है ।

यदि हम शिखरजी के लिए Holy City का दर्जा हासिल करने में सफल हो भी गए तो भी शहर में शराब और माँस पर प्रतिबंध लाने के इच्छित परिणाम पाने में यह शायद ही मददगार साबित हो । भारत के कई शहर है जैसे अजमेर, द्वारका, इलाहाबाद, जम्मू, बनारस, हरिद्वार अयोध्या, वृंदावन आदि जिन्हें पहले से ही उन उन राज्यों

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhay Road, Mulund (W), Mumbai – 400080
WhatsApp No: 9930011400 | Email: info@jyot.in

के उच्च न्यायालयों द्वारा Holy City के रुप में मान्यता प्राप्त है । क्या उन शहरों के सभी क्षेत्रों में निषेधाज्ञा पूरी तरह से लागू की गई है ? वास्तव में ज़मीनी हकीकत उससे कोसों दूर है ।

माँस और मदिरा पर प्रतिबंध लगाने के साथ उज्जैन को Holy City घोषित करने का अभियान दो वर्ष पूर्व शुरु हुआ था लेकिन उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है ।

गुजरात के द्वारका, अम्बाजी, डाकोर, सोमनाथ केवल तेज़ विकास और बेहतर सुविधाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से सन् 1997 में क्यों न पवित्र (Holy) घोषित किये गया हो, लेकिन वहाँ पर माँस या माँस के पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

पंजाब के मुक्तसर, कीरतपुर साहिब, भैनी साहिब शहरों को शराब बिक्री पर पाबंदी लाने हेतु पवित्र शहर घोषित किया गया लेकिन वहाँ पर माँस की बिक्री पर पाबंदी नहीं लगाई गई है ।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र को Holy City घोषित कर वहां माँस और माँस के उत्पादों की खरीद और बिक्री पर पाबंदी के आदेश जारी किए गए । लेकिन इसे चुनौती दी गई और वर्तमान में उच्च न्यायालय ने उस पर stay जारी किया है ।

झारखंड में भी, जहां शिखरजी स्थित है, देवगढ़ को Holy City का दर्जा दिया गया है लेकिन, वहां माँस, शराब आदि खुले आम उपलब्ध है । इसके विपरीत, इसी शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने लोकसभा में प्रयास किए गए हैं ।

पालिताना शहर सन् 1997 में पवित्र घोषित किया गया था । फिर भी पवित्र शेत्रुंजी नदी के बाँध पर मछली पकडने की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सन् 2005 में जाकर प्रस्ताव पारित किया गया । पालिताना में माँस, अंडों और मत्स्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध हेतु एक विशिष्ट अधिसूचना है । हालांकि यह अधिसूचना पवित्र पर्वत की तलहटी की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर सिर्फ 250 मीटर तक ही सीमित है और फिर इस आदेश का क्रियान्वयन तो दूर की बात है ।

निष्कर्ष यह है कि शिखरजी को Holy City घोषित करने के अभियान से इच्छित नतीजा प्राप्त होता नहीं दिख रहा है । साथ ही हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हमें जिस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वह यह है कि पूर्व में प्राप्त आदेशों के दायरे को विस्तृत कराना और उन्हें क्रियान्वित कराना ।

यह मानना पडेगा कि ज्योत द्वारा छेडी गई "Save शिखरजी" मुहिम में शिखरजी को "जैनों का उपासना स्थल" (**Place of Worship of Jains)** घोषित करने की मांग बिल्कुल उपयुक्त और आवश्यक है । ऐसी माँगों के लिए भारत में तिरुपति के 7 पहाड, नरसिंह पर्वत और सिक्कीम की अन्य पहाडियों आदि के रूप में स्थापित मिसालें हैं जिन्हें **'Place of Worship'** घोषित किया गया है । और भी बहुत कुछ उदाहरण Save शिखरजी की website पर दिए गए है जहां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा धार्मिक स्थलों को "उपासना के स्थान" घोषित किया गया है । शिखरजी को 'जैनों का उपासना स्थल' घोषित करती अधिसूचना अवश्य ही शिखरजी की पवित्रता पूरी तरह से ला पाएगी ।

"Save शिखरजी" अभियान के तहत विश्व भर से जैन समुदाय एकत्रित होकर संबंधित Government Authorities तक पहुँच सका । इस अभियान की प्रासंगिकता के मद्देनज़र और की गई मांगों के लाभों से आश्वस्त अनेक धार्मिक संगठनों, और सबसे महत्त्वपूर्ण बात कि श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ के चारों संप्रदायों ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया । अनेक श्वेतांबर गच्छों के आचार्यों सहित आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट की ओर से भी समर्थन पत्र प्राप्त हुए थे । इस अभियान को स्थानकवासी, तेरापंथी और दिगंबर संप्रदाय के संतों ने भी पूरा समर्थन दिया । लेकिन क्षुद्र कारणों से आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट ने बाद में समर्थन वापस ले लिया ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhay Road, Mulund (W), Mumbai – 400080
WhatsApp No: 9930011400 | Email: info@jyot.in

हालांकि यह आंदोलन जारी रहा जिसे न केवल भारत के सभी संप्रदायों से समर्थन मिला बल्कि विश्व भर में बसे प्रवासी जैनों और उनके संगठनों का भी ज़ोरदार समर्थन प्राप्त हुआ । इस विशाल जनादेश और व्यापक समर्थन के साथ आंदोलन को केन्द्र और राज्य सरकारों के शीर्ष स्तर तक ले जाया गया । मंत्रियों द्वारा अभियान को बंद करने के बार बार आए निर्देशों के बावजूद जीत हासिल करने तक नहीं रुकने के संकल्प के साथ हमने अभियान को जारी रखा । बाद में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवीर दास ने बातचीत के लिए हमें आमंत्रित किया । बातचीत के दौरान जैनों के सभी संप्रदायों ने एकमत होकर मुख्यमंत्रीजी से शिखरजी को "Place of Worship of Jains" (जैनों के उपासना स्थल)के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया । लेकिन सफलता जब अत्यंत नज़दीक थी तब अपने आप को प्रतिनिधि बताते हुए आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट ने दखलअंदाज़ी करके मामले को बिगाड दिया । झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में उन्होंने नेतृत्व और बातचीत की और मात्र एक Office Memo के बदले में Save शिखरजी अभियान को बंद करने पर वे राज़ी हो गए, जो हमारे लिए अत्यंत निराशाजनक था ।

हमारे पास इतना बडा जनादेश था । हमारी मांगों को दरकिनार कर दिया गया और नाम मात्र का एक सांत्वना समान लाभ दिया गया, जिसे आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट ने स्वीकार लिया ।

इस असफलता के बाद हमें अभियान बंद करने का निर्देश दिया गया । लेकिन ऐसा न करते हुए हमने आनंदजी कल्याणजी के सिर्फ इस वादे के भरोसे पर अभियान को अनिश्चित काल तक स्थगित किया, कि वे गज़ट अधिसूचना प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगे जिसे वे आज तक प्राप्त नहीं कर पाए है । यह परदे के पीछे का इतिहास है ।

इसलिए, आपकी ओर से फिलहाल ज़रूरत इस अभियान की है कि आप आनंदजी कल्याणजी पेढ़ी से जैन संघ से किए गए अपने वादे को पूरा करने की मांग करे । यहां हमें वास्तव में अपने नपुंसकत्व को छोड़कर पौरुषत्व को जागृत करना चाहिए जिससे तीर्थ की पवित्रता की रक्षा सुनिश्चित होगी ।

हम आपसे इस भ्रामक अभियान को सुधारने और मौजूदा मांग को उठाने वाले मुद्दों पर ध्यान देने का गंभीरतापूर्वक निवेदन करते है । मूल मुद्दों को गौण करके अन्य अल्प महत्त्व के मुद्दों को उजागर करना 'तीर्थरक्षा' को धक्का पहुँचाने के बराबर होगा ।

आज जैनों की स्थिति ऐसी है कि सरकारी स्तर पर एक छोटा सा काम भी करवाने के लिए एडी चोटी का ज़ोर लगाना पडता है । वे दिन और थे जब आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट, जूते पहनकर पहाड पर चढ़ने के खिलाफ हमारे शत्रुंजय पर्वत की आशातना के मुद्दे पर दरबार को उसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करके उनके सामने लड़ाई छेड़ सकती थी । आज वही आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट डोलीवालों द्वारा यात्रियों के उत्पीडन या पर्वत पर गढ़ (रामपोल) के अंदर हमारे मुख्य मंदिरों के पास धूम्रपान करने और माँसाहार, पानमसाला, आलू-प्याज आदि अभक्ष्य-अनंतकाय के सेवन वगैरह पर प्रतिबंध लगाने जैसे छोटे मुद्दों को सुलझाने में भी सफल नहीं हो पा रही है । अतीत की उपलब्धि के गुणगान द्वारा समर्थन हासिल करना विजेताओं का काम नहीं है ।

जैनशासन के हित में और तीर्थरक्षा के उद्देश्य से आइएँ हम सभी साथ मिलकर शक्तिशाली बने और एक आवाज़ में एक मांग करे कि शिखरजी को 'जैनों का उपासना स्थल' **(Place of Worship of Jains)** घोषित किया जाएँ ।

- Save शिखरजी Team और Jyot Team की ओर से

हस्ताक्षर – राकेश डी. दोशी

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhay Road, Mulund (W), Mumbai – 400080
WhatsApp No: 9930011400 | Email: info@jyot.in